TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi dated 2. December, 2011

GSR. :- In exercise of the powers conferred by clause (a) of subsection (1) of Section 642 read with sub-section (1) of Section 210A and sub-section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956 (1 of1956), the Central Government in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards, hereby makes the following amendment in the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, hereinafter called the said rules, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the said rules, in the annexure under the heading "B. Accounting Standard", in the sub-heading "Accounting Standard (AS) 11" relating to "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", in paragraph 46, for the words and figures "46. In respect of accounting periods commencing on or after 7th December, 2006 and ending on or before 31st March, 2012", the following shall be substituted, namely :-

"46. In respect of accounting periods commencing on or after 7th December, 2006 and ending on or before 31st March, 2020.

{F.No. 17/133/2008-CL.V}

RÉŇÚKA KUMAR Joint Secretary to the Govt. of India

Foot Note: The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide GSR 739(E), dated the 7^{th} December, 2006 and amended vide notification number G.S.R.212(E), dated the 27^{th} March, 2008 and subsequently amended by GSR No. 225(E), dated the 31^{st} March, 2009 and GSR No. 378(E), dated the 11^{th} May, 2011.

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, दिनांकः 29 दिसंबर, 2011

सा.का.नि. :- केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उपधारा (1) एवं धारा 211 की उपधारा (3ग) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेखांकन मानकों संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति के साथ परामर्श करके कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006, जिसे इसके पश्चात उक्त नियमावली कहा गया है, में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती हैं, नामत:-

- (1) इन नियमों को- कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2011 कहा जाएगा।
 - (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- 2. उक्त नियमावली के अनुलग्नक में शीर्ष "ख लेखांकन मानक" के अंतर्गत "विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनों का प्रभाव" से संबंधित उप-शीर्ष "लेखांकन मानक (एएस) 11" में अनुच्छेद 46 में "46. 7 दिसंबर, 2006 को या उसके पश्चात शुरू एवं 31 मार्च, 2012 को या उसके पहले समाप्त लेखांकन अवधि के संबंध में" शब्दों एवं अंकों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"46. 7 दिसंबर, 2006 को या उसके पश्चात शुरु एवं 31 मार्च, 2020 को या उसके पहले समाप्त लेखांकन अवधि के संबंध में।"

[फा.सं.17/133/2008-सीएल-V]

Luides GHIK

रेणुको कुमार संयुक्त सचिव, भारत सरकार

पाद टिप्पणी: मूल विनियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2 खंड-3 उप-खंड (i) में सा.का.नि. 739(अं) दिनांक 07 दिसंबर. 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे एवं अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 212(अ) दिनांक 27 मार्च, 2008 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था एवं सा.का.नि. 225(अ) दिनांक 31 मार्च, 2009 तथा सा.का.नि. 378(अ) दिनांक 11 मई, 2011 द्वारा इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए थे।